

प्रेषक,

मो. सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

कटिहार/नालन्दा(बिहारशरीफ)/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/किशनगंज/वैशाली (हाजीपुर)/गया/मधुवनी/नवादा/  
पू. चम्पारण(मोतिहारी)/जहानाबाद/अरवल/शेखपुरा/दरभंगा/कैमुर(भभुआ)/सासाराम(रोहतास)/समस्तीपुर/  
भागलपुर/बांका/पटना/भोजपुर (आरा)/बक्सर/सारण (छपरा)/औरंगाबाद/सीवान/पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक:- 16-3-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26-  
उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी. 2230011120101)के अन्तर्गत  
निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृति संख्या-1442 दिनांक 15.5.15 के आलोक में बंधुआ  
मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016  
तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹ 1500/- पुनर्वास के उपरांत 30 दिन के राशन के लिए  
एवं ₹ 500/- विमुक्ति के पश्चात बंधुआ मजदूरों का भोजन नास्ता वस्त्र दवा आदि पर होने वाले व्यय के लिए अर्थात्  
कुल ₹ 2000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से कुल 655 बंधुआ मजदूरों को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन  
किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 13,10,000 (₹ तेरह लाख दस हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0  
दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि. दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थानी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98  
के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से  
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
5. अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में  
से अनुसूचित जाति के कुल 270 बंधुआ मजदूरों को लाभांशित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

(मो. सलीम)  
श्रम आयुक्त, बिहार  
16/3/16

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

121

पटना, दिनांक

16-3-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो. सलीम)  
श्रम आयुक्त, बिहार  
16/3/16

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

121

पटना, दिनांक

16-3-16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/\*संबंधित  
कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/  
आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01  
(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-90 एवं 96(श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-08.03.16 एवं 11.3.16 के आलोक में /प्रशाखा-6,  
श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(मो. सलीम)  
16/3/16

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक 15.5.15 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वासि-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी. 2230011120101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

| क्र. सं. | जिला का नाम         | बंधुआ मजदूरों की संख्या | सामग्री एवं पूर्तिर्थाँ (21-01) इकाई से ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 500/- भोजन नारता वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर | अभ्युक्ति   |
|----------|---------------------|-------------------------|--|---|
| 1        | 2                   | 3                       | 4  | 5   |
| 1        | कटिहार              | 02                      | 4000   | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. कटिहार का पत्रांक-281 दिनांक-2.9.14 एवं 335 दिनांक 15.10.14 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|          |                     | 18                      | 36000  | श्रम अधीक्षक, कटिहार का पत्रांक-104 दिनांक-14.03.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 18 बंधुआ मजदूरों के लिए।   |
| 2        | नालन्दा (बिहारशरीफ) | 14                      | 28000  | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. नालन्दा (बिहारशरीफ) का पत्रांक-434, दिनांक-20.9.14 और 125 एवं 124 दोनों क्रमशः दिनांक- 21. 03.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 14 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|          |                     | 10                      | 20000  | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. नालन्दा के पत्रांक-436 तथा 580 क्रमशः दि. -16.11.15 एवं 14.12.15 के आलोक में क्रमशः दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 04 तथा जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 06 अर्थात् कुल 10 बंधुआ मजदूरों के लिए ।                          |
|          |                     | 09                      | 18000  | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. नालन्दा (बिहारशरीफ) का पत्रांक-434, एवं 124 दोनों क्रमशः दिनांक-20.9.14 एवं 21.03.15 के आलोक में अनुसूचित जाति के 09 बंधुआ मजदूरों के लिए   |
| 3        | मुजफ्फरपुर          | 01                      | 2000   | श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-2570 दिनांक-26.11.14 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |
|          |                     | 15                      | 30000  | श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2460 दि.-1.9.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 07 तथा सामान्य/अन्य जाति के 01 एवं पत्रांक-2461 दि.-01.9. 15 के आलोक में दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 07 अर्थात् कुल 15 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
|          |                     | 12                      | 24000  | श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2855 दि.-15.10.15 के आलोक में जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 03 तथा सामान्य/अन्य जाति के 09 अर्थात् कुल 12 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|          |                     | 12                      | 24000  | उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक 268 दिनांक 03.02.16 के आलोक में जयपुर राजस्थान से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के आठ तथा अनुसूचित जाति जाति कोटि के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए   |
|          |                     | 02                      | 4000   | श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-2570 दिनांक- 26.11.14 के आलोक में अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए।   |
| 4        | सीतामढ़ी            | 07                      | 14000  | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. सीतामढ़ी का पत्रांक-273 दिनांक-16.4.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 07 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|          |                     | 02                      | 4000   | श्रम अधीक्षक, कृ.श्र. सीतामढ़ी का पत्रांक-273 दिनांक-16.4.15 के आलोक में अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |




|    |                           |    |        |  |
|----|---------------------------|----|--------|--|
| 5  | किशनगंज                   | 45 | 90000  | श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-215 दिनांक-28.4.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 45 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |
|    |                           | 42 | 84000  | श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-242 दिनांक- 5.5.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 42 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |
|    |                           | 03 | 6000   | श्रम अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक-536 दिनांक-29.12.15 के आलोक में नई दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 03 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 6  | वैशाली<br>(हाजीपुर)       | 17 | 34000  | जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1986, 1988, 1990 तीनों दिनांक-31.12.14 एवं पत्रांक-111, एवं जापांक 110 दोनों क्रमशः दिनांक- 19.1.15, के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 17 बंधुआ मजदूरों के लिए ।    |
| 7  | गया                       | 38 | 76000  | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र० गया का पत्रांक-271 एवं 272 दोनों दिनांक- 9.5.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 38 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                           | 03 | 6000   | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र० गया का पत्रांक-296 दिनांक-23.5.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति 03 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                           | 50 | 100000 | श्रम अधी०(कृ०श्र०) गया के पत्रांक-271 दि०-9.5.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से दिनांक-15.01.15 को विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 50 बंधुआ मजदूरों के लिए                                       |
|    |                           | 64 | 128000 | सहायक श्रमायुक्त, कृ०श्र०, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-127 दिनांक- 16.02.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 15 एवं अनुसूचित जाति के 49 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| 8  | मधुवनी                    | 02 | 4000   | श्रम अधीक्षक, मधुवनी का पत्रांक-150 दिनांक-28.2.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
| 9  | नवादा                     | 01 | 2000   | जिला पदाधिकारी नवादा का पत्रांक-88 दिनांक-08.4.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                           | 52 | 104000 | श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-66 दि०-30.03.15 के आलोक में बहादुरगढ़, झज्जर, (हरियाणा) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 52 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 10 | पू० चम्पारण<br>(मोतिहारी) | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, पू० चम्पारण (मोतिहारी) का पत्रांक-329 दिनांक - 04.04.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                           | 03 | 6000   | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पत्रांक-642 दि०- 26.06.15 के आलोक में दूसरे राज्यों से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 03 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                           | 07 | 14000  | श्रम अधी० मोतिहारी के पत्रांक-815 दि०-5.8.15 के आलोक में बंगलोर से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 07 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                           | 23 | 46000  | श्रम अधीक्षक, मोतिहारी का पत्रांक-642 दिनांक-26.6.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 23 बंधुआ मजदूरों के लिए।   |
| 11 | जहानाबाद                  | 03 | 6000   | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद का पत्रांक-261 दिनांक-08.05.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 03 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |
|    |                           | 02 | 4000   | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-425 दि०-09.07.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                           | 08 | 16000  | श्रम अधी० जहानाबाद के पत्रांक-518 दि०-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                           | 10 | 20000  | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद का पत्रांक-261 दिनांक-08.05.15 के आलोक में अनुसूचित जाति के 10 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |

|    |                  |    |        |  |
|----|------------------|----|--------|--|
| 12 | अरवल             | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद का पत्रांक-262 दिनांक-08.05.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए।  |
|    |                  | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक-519 दि.-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
|    |                  | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद का पत्रांक-262 दिनांक-08.05.15 के आलोक में अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 13 | शेखपुरा          | 04 | 8000   | जिला पदाधिकारी, शेखपुरा पत्रांक-174 दिनांक- 17.7.14 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए   |
| 14 | दरभंगा           | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-1015 दि.-01.07.15 के आलोक में पहाड़गंज (दिल्ली) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                  | 07 | 14000  | श्रम अधी. दरभंगा के पत्रांक-1393 दि.-16.9.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 04 तथा सामान्य/अन्य जाति के 03 बंधुआ मजदूरों के लिए ।                                |
| 15 | कैमूर(भभुआ)      | 04 | 8000   | श्रम अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-412 दि.-30.06.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                  | 02 | 4000   | श्रम अधीक्षक, कैमूर(भभुआ) के ज्ञापांक-48 दि.-14.01.16 के आलोक में चंदौली (उत्तर प्रदेश) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
| 16 | सासाराम (रोहतास) | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-256 दि.-01.04.15 के आलोक में देवबंध, सहारनपुर (यूपी.) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए।                                |
|    |                  | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-748 दि.-16.11.15 के आलोक में कानपुर देहात से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 17 | समस्तीपुर        | 76 | 152000 | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-884 दि.-18.08.14 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) एवं दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 59 तथा अनुसूचित जाति के 17 अर्थात् कुल 76 बंधुआ मजदूरों के लिए |
|    |                  | 24 | 48000  | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-23 दि.-7.1.16 के आलोक में जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 11 तथा अनुसूचित जाति के 13 अर्थात् कुल 24 बंधुआ मजदूरों के लिए के लिए।        |
| 18 | भागलपुर          | 08 | 16000  | श्रम अधीक्षक (कृ०श्र०) भागलपुर का ज्ञापांक- 311 दिनांक-01.07.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 19 | बांका            | 01 | 2000   | श्रम अधीक्षक (कृ०श्र०) भागलपुर-सह-बांका का ज्ञापांक- 310 दिनांक-01.07.15 के आलोक में सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
|    |                  | 04 | 8000   | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र०, भागलपुर-सह-बांका के पत्रांक-391 दि.-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) एवं नई दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए ।                    |
|    |                  | 09 | 18000  | जिला पदाधिकारी के पत्रांक-558 दि.-23.12.15 के आलोक में भोलवाड़ा (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 09 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |



|         |              |     |         |  |
|---------|--------------|-----|---------|--|
| 20      | पटना         | 12  | 24000   | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र०, पटना के पत्रांक-1373 एवं 1407 क्रमशः दि.-19.8.15 एवं 28.8.15 के आलोक में क्रमशः जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त सामान्य/अन्य जाति के 04 तथा बेल्लारी(कर्नाटक) से विमुक्त अनुसूचित जाति के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
|         |              | 02  | 4000    | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र०, पटना के पत्रांक-101 दि.-30.01.16 के आलोक में झज्जर (हरियाणा) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
| 21      | भोजपुर (आरा) | 11  | 22000   | श्रम अधीक्षक, भोजपुर के कार्यालय पत्रांक-649 दि.-28.8.15 के आलोक में बेल्लारी(कर्नाटक) से विमुक्त अनुसूचित जाति के 09 तथा सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 22      | बक्सर        | 01  | 2000    | श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक-397 दि.-04.9.15 के आलोक में बेल्लारी(कर्नाटक) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूर के लिए ।   |
| 23      | सारण (छपरा)  | 02  | 4000    | श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) के पत्रांक-905 दि.-21.12.15 के आलोक में जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।  |
| 24      | औरंगाबाद     | 01  | 2000    | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र० औरंगाबाद के पत्रांक-19 दि.-12.01.16 के आलोक में लुधियाना (पंजाब) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 25      | सीवान        | 01  | 2000    | श्रम अधीक्षक, कैमूर(भधुआ) के पत्रांक-53 दि.-22.01.16 के आलोक में लुधियाना (पंजाब) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| 26      | पूर्णियाँ    | 02  | 4000    | श्रम अधीक्षक, कृ०श्र०, पूर्णियाँ के पत्रांक-99 दिनांक- 01.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।   |
| कुल योग |              | 655 | 1310000 |  |

कुल आवंटित अतिरिक्त राशि ₹ 13,10,000 (₹ तेरह लाख दस हजार) मात्र ।



(मो. सलीम)

श्रमायुक्त, बिहार।

16/3/16